मुकदमा नं0–13/2017
उनवान– मंगली देवी बनाम भैरु
निर्णय दिनांक–28.05.2017

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) चौमूँ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेजरोली)

पीठासीन अधिकारी :– सीमा शर्मा (R.A.S.)

उनवान

1. मंगली देवी पत्नि भींवाराम
2. सजना देवी पत्नि अर्जुनलाल
3. शान्ति देवी पत्नि गुलाबचन्द

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम निन्दौला, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. भैरु पुत्र भूरा जाति अहीर, निवासी ग्राम निन्दोला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक:– 28.05.2018

मुकदमा नं0:–13/2017

निर्णय

पत्रावली आज केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेजरोली में पेश हुई। प्रकरण में सम्बद्ध पक्षकारगण उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.06.2017 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री का पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात पूर्व में प्राप्त हो चुके है, कुर्रेजात रिपोर्ट पर पक्षकारों को सुना गया, उपस्थित पक्षकारान ने कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 02.08.2017 पर अपनी सहमति जताई व उक्त कुर्रेजात प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी करने की इस्तदुआ की। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व उभयपक्षों की बहस पर बगौर मनन किया गया। न्यायालय अभिमत में हम सभी पक्षकारों की सहमति को मध्यनजर रखते हुये वादी के वाद को डिक्री करना उचित समझते है। अतः वादी का वाद उभयपक्षों की सहमति पर मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाके ग्राम निन्दौला, पटवार हल्का खेजरोली–ए, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 7795 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7796 रकबा 0.83 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 1.70 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है–

1. मंगली देवी पत्नि भींवाराम, सजना देवी पत्नि अर्जुनलाल, शान्ति देवी पत्नि गुलाबचन्द जाति अहीर सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 7795 रकबा 0.87 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगा। लगान 23.92।
2. भैंरु पुत्र भूरा जाति अहीर सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 7796 रकबा 0.83 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगा। लगान 26.91।

अन्तिम डिकी जारी हो। नजरी नक्शा डिकी का भाग रहेगा। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय अपाके द्वार/कैम्प कोर्ट खेजरोली में खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.09 12:02:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फा0 ट्रै0) चौमूं

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–13/2017
उनवान– मंगली देवी बनाम भैरु
निर्णय दिनांक–28.05.2017

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) चौमूँ

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेजरोली)

पीठासीन अधिकारी :– सीमा शर्मा (R.A.S.)

उनवान

1. मंगली देवी पत्नि भींवाराम
2. सजना देवी पत्नि अर्जुनलाल
3. शान्ति देवी पत्नि गुलाबचन्द

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम निन्दौला, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. भैरु पुत्र भूरा जाति अहीर, निवासी ग्राम निन्दोला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकासमा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्शी एक्ट

मुकदमा नं0:–13/2017 निर्णय दिनांक:– 28.05.2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हाजरी .... मिनजामिन मुददई रुबरु सीमा शर्मा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

1. मंगली देवी पत्नि भींवाराम, सजना देवी पत्नि अर्जुनलाल, शान्ति देवी पत्नि गुलाबचन्द जाति अहीर सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 7795 रकबा 0.87 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 23.92।
2. भैंरु पुत्र भूरा जाति अहीर सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 7796 रकबा 0.83 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 26.91।

निजी ....x....मबलिक .....x....... बाबत .....x......खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....x................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..x... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.05.2018 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फा0 ट्रे0) चौमूँ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प	1	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2. अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर कह फीस		4. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5. कमिशनर की फीस	
6. कमिशनर की फीस		6. आदेशिका की तामिल	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड	2	जोड	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.09 12:02:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फा0 ट्रे0) चौमूँ

Scanned by CamScanner